

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु. नं. 14/12

तारीख रज. 10.2.12

उनवान - चिरेजी वेंगो व/स हजलाल वेंगो

दावा - बाबत इन्डाज डुकस्ती, घोषणा खोतेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओरसे श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत इन्डाज डुकस्ती, घोषणा खोतेदारी, व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया, अवलोकन किया। प्रतिवादी गण को सम्मन जारी कें। दावा दर्ज रजि. का पत्रावली दिनांक 5.3.12 को पेश हो।

276-79

13-2-12

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राजग)

5/3/12

वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 1, 3 की ओरसे वनालतनामा व प्रतिवादी नं. 2 की ओरसे प्रीमो श्री रामभरोली गुहा एडवोकेट ने पेश किये। प्रतिवादी नं. 4 का पत्रावली स्वरूप उप. नहीं। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। कोसत जवाब प्रतिवादी नं. 1, 3 पेश कें वनालतनामा रजि. नं. 2 दिनांक 9.4.12 को पेश हो।


9/12 बार एसो. द्वारा कार्य स्वगत रखा है P-0 सा. मिटिंग के पक्षों हुए हैं गारा गुला पत्रावली 7/5/12 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक
15.7.18

ककुत्ताय उप०। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
अदेश 23 नियम 1 (3) जाहा दीवानी सपठित द्धरा
15। जाहा दीवानी पेश किया। इस पर वादी वकील को
सुना गया। दारा वापिस लिये जाने के प्रार्थना पत्र पर
वकील प्रविवादी ने सहमते दर्ज कराई। अंतः प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत अदेश 23 नियम 1 (3) जाहा दीवानी
स्वीकार किया जाता है। तथा वादी को यदि वह चोह
तो मवीन दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती
है यह दावा ~~अंतः~~ निर्जित होकर बाद लक्षित
दाखिल दफ्तर है।


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)